



2026:AHC:18114

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 857 वर्ष 2026

जग जीवन राम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अमित कुमार पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार पांडे और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार की बात सुनी।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता 30.09.2025 को सेवानिवृत्त हो गया, हालांकि, इससे पहले, 15.07.2025 को प्रतिपक्षी द्वारा जांच के लिए एक सूचना जारी किया गया था, जिस पर याचिकाकर्ता ने 29.07.2025 को अपना जवाब दिया था, लेकिन कार्यवाही पूरी नहीं हुई है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का निवेदन है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्ट्या निस्तारण प्रतिपक्षी संख्या 5, जौनपुर के समेकन अधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. बार में प्रस्तुत किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की प्रमाणित प्रति के साथ प्रतिपक्षी संख्या 5 के समक्ष एक व्यापक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिस पर प्रतिपक्षी आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

27 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)